फैक्स नं0. 0522-228643
नं0. 0522-2287701

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001
U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
14-ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW - 226001

पत्र सं0: 2368 –मा0सं0प्र0–02/उनिलि/2016– 41–मा0सं0प्र0–02/2009 दिनांक : 21 अक्टूबर, 2016

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के निदेशक मण्डल की 169वीं बैठक, जो दिनांक 14.09.2016 को सम्पन्न हुई, के एजेण्डा आइटम सं0–73 मे लिए गये निर्णय के अनुपालन मे पूर्ववर्ती परिषद के कार्यालय ज्ञाप सं0:–1327–का0वि0नी0/राविप–29/96–14काविनी/87, दिनांक 11.07.1996(अद्यतन संशोधनों सहित) में श्रेष्ठता मापदण्ड के अन्तर्गत बिन्दु (VII) में प्रतिस्थापित व्यवस्था सम्बन्धी उ0प्र0 पावर कापोरशन लि0 के कार्यालय ज्ञाप सं0: 421–का0वि0नी0 एवं वे0प्र0–29/पाकालि/2012–14–काविनी/87, दिनांक 15.05.2012 को निगम में यथावत अंगीकृत किया जाता है।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

सं0: 2368 –मा0सं0प्र0–02/उनिलि/2016, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
(2) निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन/तकनीकी/वित्त/परियोजना एवं वाणिज्य), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के स्टाफ आफिसर/निजी सचिव।
(3) मुख्य महा प्रबन्धक (वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
(4) महाप्रबन्धक(मा0सं0), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
(5) मुख्य अभियन्ता, ओबरा/अनपरा/हरदुआगंज/पनकी/पारीछा तापीय विद्युत परियोजना, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, ओबरा(सोनभद्र)/अनपरा(सोनभद्र)/कासिमपुर(अलीगढ)/पनकी(कानपुर)/पारीछा(झॉसी)।
(6) महा प्रबन्धक (लेखा/सम्प्रेक्षा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
(7) मुख्य अभियन्ता, ईंधन/वाणिज्य/आर0एण्डएम0/जानपद/जानपद नव परियोजनाएं, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
(8) मुख्य अभियन्ता(पीपीएमएम), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, चतुर्थ तल, टीसी–46/वी, समाज कल्याण भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010।
(9) अध्यक्ष, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

क्रमशः 2

(10) कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(11) मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टीसी/46वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010 को निगम की वेबसाइट www.uprvunl.org पर अपलोड करने हेतु ।

(12) उप महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता (मा0सं0–01/02/03/04/05/06)/रिफॉर्म/तापीय परिचालन इकाई/टाण्डा वाइंडिग सेल/प्रशिक्षण, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(13) मुख्य प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), कैश प्रबन्धन इकाई उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।

(14) समस्त उप सचिव/अधिशासी अभियन्ता/अनुसचिव/अनुभाग अधिकारी, (मानव संसाधन), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।

(15) वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी(वे0 एवं ले0)/(पेंशन), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।

(16) वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी (औ0सं0), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।

(17) कट फाइल ।

आज्ञा से,

15.10.15

(डी0के0 शर्मा)

अधिशासी अभियन्ता(मा0सं0–02)

45×1 =45 31

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग लखनऊ

संख्या 421 – का०वि०नी० एवं वे०प्र० – 29 / पा०का०लि० / 2012 – 14 काविनी / 87 दिनांक 15 मई, 2012

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 15.05.2012 को लिये गये निर्णय के अनुपालन में विभागीय चयन समितियों की अनुशंसाओं के आधार पर भरे जाने वाले सभी संवर्गों के पदों पर "श्रेष्ठता मापदण्ड" के अन्तर्गत चयन द्वारा पदोन्नति किये जाने की पूर्ववर्ती परिषद के कार्यालय ज्ञाप सं० 1327–का०वि०नी० / राविप–29 / 96–14 काविनी / 87 दिनांक 11.07.1996 *(अद्यतन संशोधनों सहित)* में निहित व्यवस्था, जैसा कि अधोलिखित तालिका के स्तम्भ–1 में निर्दिष्ट है, को स्तम्भ–2 में निर्दिष्ट व्यवस्था द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :–

विद्यमान व्यवस्था	प्रतिस्थापित व्यवस्था
1	2
जहाँ मापदण्ड "श्रेष्ठता" है - मुख्य अभियन्ता (स्तर–1 / 2) तथा अधीक्षण अभियन्ता एवं समकक्ष पदों हेतु चयन, इस मापदण्ड के आधार पर किया जायेगा। (VII) प्राप्ताँकों के आधार पर अभ्यर्थियों का श्रेणीकरण	जहाँ मापदण्ड "श्रेष्ठता" है - मुख्य अभियन्ता (स्तर–1 / 2) तथा अधीक्षण अभियन्ता एवं समकक्ष पदों हेतु चयन, इस मापदण्ड के आधार पर किया जायेगा। (VII) प्राप्ताँकों के आधार पर अभ्यर्थियों का श्रेणीकरण
श्रेणी–1 नब्बे (90) प्रतिशत या 180 अंक, अथवा अधिक, अर्जित करने वाले अभ्यर्थी श्रेणी–1 में वर्गीकृत होंगे। इस श्रेणी हेतु अंकों का अर्जन विचाराधीन दस वर्षों की प्रविष्टियों पर किया जायेगा, विचाराधीन अवधि (दस वर्ष) के अन्तर्गत, ऐसी प्रविष्टियाँ उपलब्ध न होने की अवस्था में विचाराधीन अवधि से ठीक पूर्व की ऐसी प्रविष्टियाँ विचार में ली जायेगी तथा उस अवधि की विचाराधीन अवधि की सबसे पहली प्रविष्टियाँ विलुप्त मानी जायेंगी।	श्रेणी–1 – विलुप्त –
श्रेणी–2 मुख्य अभियन्ता (स्तर–1) एवं समकक्ष पद हेतु सत्तर (70) प्रतिशत (अर्थात 140) अंक।	श्रेणी–1 मुख्य अभियन्ता (स्तर–I) एवं समकक्ष पद हेतु 70 प्रतिशत अर्थात 140 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी पात्रता क्षेत्र में आयेंगे एंव मूल वरिष्ठता के कमानुसार चयनोंपरान्त इनकी प्रोन्नति की जायेगी।
तथा	तथा
मुख्य अभियन्ता (स्तर–2) एवं समकक्ष पद हेतु पैंसठ (65) प्रतिशत (अर्थात 130) अंक।	मुख्य अभियन्ता (स्तर–II) एवं समकक्ष पद हेतु 65 प्रतिशत अर्थात 130 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी पात्रता क्षेत्र में आयेंगे एवं मूल वरिष्ठता के कमानुसार चयनोंपरान्त इनकी प्रोन्नति की जायेगी।
तथा	तथा
अधीक्षण अभियन्ता एवं समकक्ष पद हेतु (60) प्रतिशत (अर्थात 120) अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी श्रेणी–2 में वर्गीकृत होंगे।	अधीक्षण अभियन्ता एवं समकक्ष पद हेतु 60 प्रतिशत अर्थात 120 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी पात्रता क्षेत्र में आयेंगे एवं मूल वरिष्ठता के कमानुसार चयनोंपरान्त

(क्रमश 2)

	इनकी प्रोन्नति की जायेगी। उपरोक्तानुसार श्रेणी हेतु अंकों का आं... विचाराधीन दस वर्षों की प्रविष्टियों पर किया जायेगा, विचाराधीन अवधि (दस वर्ष) के अन्तर्गत, ऐसी प्रविष्टियां उपलब्ध न होने की अवस्था में विचाराधीन अवधि से ठीक पूर्व की ऐसी प्रविष्टियाँ विचार में ली जायेंगी तथा उस अवधि की विचाराधीन अवधि की सबसे पहली प्रविष्टियाँ विलुप्त मानी जायेंगी।
<u>श्रेणी-3</u> श्रेणी–2 में विभिन्न स्तर के अधिकारियों के मापदण्डों से कम प्राप्ताँक वाले अभ्यर्थी श्रेणी–3 में वर्गीकृत होंगे।	<u>श्रेणी-2</u> श्रेणी–1 में विभिन्न स्तर के अधिकारियों के मापदण्डों से कम प्राप्ताँक वाले अभ्यर्थी श्रेणी–2 में वर्गीकृत होंगे और किसी भी पद पर चयन हेतु उपयुक्त नहीं होंगे।

2. उपरोक्त स्तम्भ–1 में उल्लिखित वर्तमान प्राविधानों के सापेक्ष स्तम्भ–2 में प्रस्तावित संशोधित प्राविधानों के अतिरिक्त चयन सम्बन्धी तद्विषयक अन्य समस्त आदेश एवं सुसंगत व्यवस्थायें *(अद्यतन संशोधनों सहित)* यथावत् प्रभावी रहेंगी।

3. प्रश्नगत संशोधित प्राविधान/व्यवस्थायें चयन वर्ष : 2011–12 से प्रभावी मानी जायेंगी एवं इससे पूर्व के प्रकरण पुनरोद्घाटित नहीं किये जायेंगे।

<u>निदेशक मण्डल की आज्ञा से</u>

(ओ०पी० जैन)
निदेशक (का० प्र० एवं प्रशासन)

<u>सं० 421 –(I) का०वि०नी० एवं वे०प्र०–29/पाकालि/2012 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ/केस्को, कानपुर/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा/ मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ।
5- समस्त निदेशक, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1 एवं 2), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
8- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, बी–17, जे0 रोड, महानगर विस्तार, लखनऊ।
9- समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक,उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
10- उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
11- अनु सचिव (स०प्र०–लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
12- लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
13- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
14- समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
15- समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी,उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
16- सचिव, उ0प्र0 राज्य-ऊर्जा कार्मिक न्यास, शक्ति भवन, लखनऊ।
17- समस्त अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 (मु0), शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
18- अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(आर०के० श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव (का०वि०नी०)